न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन
मैसर्स गौरी जनरल स्टोर जयपुर रोड जूनिया
ग्राम पंचायत जूनिया तहसील केकडी जिला केकडी .....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.07.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2024 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने वास्ते मैसर्स गौरी जनरल स्टोर जयपुर रोड जूनिया ग्राम पंचायत जूनिया तहसील केकडी पर पहुँचे। मौके पर वक्त जांच फर्म के मालिक ने अपना नाम श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन निवासी जूनिया होना बताया । मौके पर पहुचने से पहले ही राजकीय वाहन को दूर देख कर एक मारूती बेनार उक्त फर्म से गैस भरवाकर भगा ले गया मौके पर उक्त दुकान की जांच करने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों एवं गैस रिफलिंग करने वाली इलेक्ट्रीक मोटर जोड कर गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया । इस प्रकार मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। मौके पर श्री शाहिद हुसैन ने घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल) मार्का के पाये गये मौके पर मैसर्स श्री [illegible] गैस ग्रामीण वितरक जूनिया के प्रतिनिधि श्री रामकुंवार गुर्जर को बुलवाकर वनज तौल कार्यवाही करवायी गयी जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	48914 टी	BPCL	29.600	15.800	13.800
2	312977	BPCL	15.800	15.800	00.00
3	491593 एस	BPCL	15.500	15.500	00.00

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

इस प्रकार श्री शाहिद हुसैन द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किये जाने के कारण उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.800 किलोग्राम एलपीजी गैस एवं इलेक्ट्रीक मोटर मय वायर, 02 पाईप रेग्युलेटर को जब्त सरकर कर मैसर्स श्री भारत गैस ग्रामीण वितरक जूनिया को जरिये प्रोपराईटर श्री राजसिंह माहवर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है जिसका फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा पृतक से तैयार कर संलग्न फर्द किया गया है। श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन मैसर्स गौरी जनरल स्टोर जयपुर रोड जूनिया ग्राम पंचायत जूनिया तहसील केकडी जिला केकडी द्वारा अनाधिकृत रूप से एल.पी.जी गैस का अवैध रिफलिंग कर व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)सी एवं 7(1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.800 किग्रा एलपीजी गैस को राजसात करने करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस पर पुलिस रिपोर्ट है कि उक्त व्यक्ति घर पर नही मिला आस पडौसीयो से पूछताछ की तो बताया की बाहर रहता है यहॉ पर बहुत कम ही आता है जिसके मोबाईल नम्बर 9782624322 पर सम्पर्क किया तो बताया की में अभी बाहर आया हुआ हूँ मे तारीख पर पेश हो जाउगा। अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 05.12.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 13.8 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 05.12.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 13.8 कि.ग्राम एल.पी.जी. मय इलेक्ट्रीक मोटर मय वाया, 02 पाई रेग्युलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर